



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-14



पत्रांक— 8 बजट (1) 21/2026-27 आ०

दिनांक— 23/07/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

विशेष उप निदेशक (पशु विकास)
फ्रोजेन सिमेन बैंक—सह—बुल स्टेशन, पटना।

विषयः—

वित्तीय वर्ष 2026—27 में मांग संख्या 02, केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 106 अन्य पशुधन विकास, 0212 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विपत्र कोड 02—2403001060212 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0207 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विपत्र कोड 02—2403007890207 के अन्तर्गत कुल ₹ 38,33,332/— (अड़तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में विभागीय राज्यादेश संख्या 3438 दिनांक 06.07.2026 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 38,33,332/— (अड़तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड		कुल आवंटित राशि (रुपये में)
		02—2403001060212 (केन्द्रांश 60% एवं राज्यांश 40%)	02—2403007890207 (केन्द्रांश 60% एवं राज्यांश 40%)	
1	2	3	4	5
1	31.06— सहायक अनुदान गैर—वेतन	19,16,666	19,16,666	38,33,332
	कुल योगः—	19,16,666	19,16,666	38,33,332

(अड़तीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ बत्तीस) मात्र।

2— इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में मांग संख्या 02, केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 106 अन्य पशुधन विकास, 0212 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विपत्र कोड 02—2403001060212 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0207 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन, विपत्र कोड 02—2403007890207 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3— यह आवंटन केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत “राष्ट्रीय पशुधन मिशन” (National Livestock Mission-NLM) के तहत “पशुधन बीमा (Livestock Insurance) की योजना” हेतु दिया जा रहा है।

9

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 236/वि०, दिनांक 09.03.2026, पत्रांक- 314/वि०, दिनांक 01.04.2026 एवं पत्रांक 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक भेजा जाय।

5- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० - 8 बजट (1) 21/2026...आ०

पटना-15, दिनांक 23/07/2026

प्रतिलिपि- उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी० ए० -57-96-97 प० पा० -9 -46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट -3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09, योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।